य उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
न अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
नम्बरः–49/2019 प्रार्थना पत्र

सिंह पिता फतेहसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी रायड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
———प्रार्थी

बनाम

ना पत्नि रज्जाक खान पठान, उम्र बालिग निवासी कमला भवन के पास, पुर रोड़, बापूनगर–वाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ाक खॉं पिता शारीफ सैयद मुसलमान, उम्र बालिग निवासी पांसल चौराहा के पास, भीलवाड़ा ील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–20.6.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू– राजस्व म 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रायडा पटवार मपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 196/3 रकबा 3 बीघा प्रार्थी दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त जियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी ाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश रमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये पक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को कितनी ही धिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 20.6.2019 को ा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा ी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते मा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के कार किया जाकर ग्राम रायडा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ाजी नम्बर 196/3 रकबा 3 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

देया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 300/–रूपये (तीन ये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्राथी मौके पर जमा कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। ो किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20.6.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनायां

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner